न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 95/2016

श्री गोपाल पुत्र स्व0 श्री प्रभूलाल जी दत्तक पुत्र स्व0 सुगनचन्द जी धूत जाति महाजन निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

————वादी

ब ना म

1– श्री राधाकिशन पुत्र स्व0 श्री प्रभूलाल जी धूत
2– श्री बालकिशन पुत्र स्व0 श्री प्रभूलाल जी धूत
3– श्रीमति आयचुकी पत्नि स्व0 श्री प्रभूलाल जी धूत
सभी जाति महाजन एंव निवासीयान ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर
4– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर।

————प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 28.2.2018

वादी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा मसूदा प्रथम पटवार हल्का मसूदा प्रथम तहसील मसूदा जिला–अजमेर में खसरा नंबर 629 रकबा 09–04–10 किस्म आ.1, 630 रकबा 09–12–00 किस्म आ.1 स्थित है। उक्त भूमियां वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमियां है, जिसमें जमाबंदी में वर्णित अनुसार हिस्सा निहित चला आ रहा जो राजस्व रेकार्ड में श्री सुगनचन्द जी एंव प्रभूलाल के नाम से दर्ज चली आ रही थी जो कि रिश्ते में दोनो सगे भाई थे जिनमें से श्री सुगनचन्द जी के कोई संतान नही हुई एंव उन्होने वादी को दत्तक पुत्र के रूप में माना एंव वादी ने ही उनकी समस्त सेवा चाकरी व मरणोपरांत भी वादी ने ही सामाजिक रिती रिवाज अनुसार समस्त क्रियाकर्म संपादित किये। वादी सुगनचन्द जी के गोद जाने के कारण वादग्रस्त भूमियो में निहित 1/2 हिस्सा वादी का एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा हुआ उसंव उसकी के अनुरूप मौके पर मालिक हो काबिज हुये तथा वादी सुगनचन्द जी का दत्तक पुत्र है, जिसे पूरा गांव एंव समाज जानता है, वादी के समस्त दस्तावेजा राशनकार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड बैंक पास बुक सहित समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम गोपाल धूत पुत्र श्री सुगनचन्द धूत ही अंकित है। वादी के पिता सुगनचन्द जी के नाऔलाद फोत हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमियो में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को श्री प्रभूलाल जी के वारीसान के रूप में दर्शित करते हुये नाम अंकर दिया जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमियो में वादी श्री सुगनचन्द जी के हिस्से के अनुरूप 1/4 हिस्से का मालिक होता है, किन्तु संबंधित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के बराबर का वादी को हिस्सेदार अंकन कर दिया। वादी ने अपने हिस्से में फसल बुवाई की किन्तु प्रतिवादीगण अपनी दादागिरी के वशीभूत वादी की भूमियो में हल चलाने की कोशिश की इतना ही नही दिनांक 01.01.2006 को मोके पर अजनबी दलाल लाकर भूमियो को बेचान करने की भी कोशिश की जिस पर मोके पर उपस्थित वादी एंव उपस्थित लोगो ने उन्हें उस दिवस तो बंटवारा होने के पश्चात ही भूमियो खरीद करने की सलाह दी किन्तु प्रतिवादीगण एंव अजनबी दलाल ने वादी के निवेदन पर ध्यान नही देते हुये उल्टी सीधी बाते की के कारण वादी को वाद माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है, अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादग्रस्त भूमियो में श्री सुगनचन्द के हिस्से के अनुरूप 1/4 हिस्सा वादी का घोषित किया जावे तथा गोपाल पुत्र प्रभूलाल अंकन कर दिया है, उसे उक्तानुसार दुरूस्ती की जावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त हिस्सो के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

(सुरेश जावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया है, कि वादी सुगनचन्द के गोद चला वह तथ्य सही है। इसलिये प्रभूलाल के 1/2 हिस्से में वादी का कोई हक नही है। सुगनचन्द के हिस्से में वादी एंव प्रभूलाल के हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई आपत्ति नही है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत अधिंकाश तथ्य को स्वीकार किये जाने का कथन करते हुये वादी का वाद खारीज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान ने अपने अपने कथनो को ही साक्ष्य के रूप में माना जाने का कथन करते हुये प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में वादी गोपाल ने अपना राशनकार्ड, पचाहन पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की गई जिसमें वादी के पिता का नाम सुगनचन्द धूत अंकित होना पाया गया। एंव जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एंव अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। एंव नामान्तकरण संख्या 1339 में सुगनचन्द पुत्र छोगालाल का फोती दाखिल खारीज खालो जाना पाया गया। वादी ने अपने वाद पत्र में अनुतोष घोषणा व विभाजन का चाहा गया है, जबकि सुगनचन्द व प्रभूलाल पिसरान छोगालाल विवादित भूमियो के 1/2 हिस्से के खातेदार थे उसके विषय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। एंव उक्त विवादित भूमियो के अन्य सहखातेदार हीराचन्द, विष्णुलाल, पुरूषोतम, सत्यनारायण पिसरान रामस्वरूप कौम महाजन को इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है, जबकि वादी ने विवादित भूमियो के विषय में विभाजन का अनुतोष मांगा गया है, ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य नही पाये जाने खारीज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

(सुरेश चावला)
(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 15:34:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: